न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर
बइजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –178 / 2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024 / 213

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
चेनाराम पुत्र रामदेव, जाति–जाट निवासी–डिडियाखुर्द,तहसील–जायल, जिला नागौर		1. हल्का पटवारी,डिडियाकलां तहसील जायल, जिला नागौर 2. तहसीलदार, जायल जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोपालसिंह राठौड़।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

निर्णय **दिनांक :–2611.2024**

1– अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,जायल द्वारा प्रकरण संख्या 13 / 2024 सरकार बनाम चेनाराम में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.09.2024 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

2– वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार जायल में हल्का पटवारी डिडियाकलां ने मेरे विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत मौजा डिडियाखुर्द के खसरा नम्बर 125 किस्म गैर मुमकिन गोचर के रकबा 0.32 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा मानते हुए एक प्रकरण दिनांक 30.07.2024 को पेश किया जिसमें मुझ अपीलांट को दिनांक 06.08.2024 की नियत तारीख पेशी देते हुए नोटिस जारी किया गया जिस पर मुझ अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 06.08.2024 को मुझ अपीलांट का कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं होना लिखित में पेश किया व मुझ अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 126 रकबा 1.5702 हैक्टेयर स्थित है जिस खेत के चिपते ही खसरा नम्बर 125 गैर मुमकिन गोचर स्थित है जिस पर मुझ अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा करना बताया गया लेकिन मुझ अपीलांट के अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 06.08.2024 को नोटिस के प्रत्युत्तर में जबाब पेश करते हुए मुझ अपीलांट का किसी प्रकार का अवैध अनाधिकृत कब्जा नहीं होने तथा मुझ अपीलांट के खेत का माप चोप करने का निवेदन किये जाने पर आदेश दिनांक 23.08.2024 को जारी कर निर्देशित किया गया किया कि खेत खसरा नम्बर 126 का सीमाकंन किया जावें। जिस पर सीमाकंन नहीं किया गया व दिनांक 10.09.2024 को मेरी मूंग की फसल को निलाम करने के लिये मौके पर भू.अ.नि.रोल व हल्का पटवारी, डिडियाकलां आये तो मेरे खेत खसरा नम्बर 126 का सीमाकंन किया तो मेरे खेत का क्षेत्रफल नक्शा अनुसार रकबा 1.3111 हैक्टेयर पाया गया,जबकि मेरे खातेदारी में जमाबन्दी खतौनी अनुसार रकबा 1.5702 हैक्टेयर है। इस प्रकार उक्त खसरा में रकबा 0.2591 हैक्टेयर का नक्शानुसार अन्तर है,जो मौके पर कम पाया गया फिर भी तहसीलदार जायल ने दिनांक 12.09.2024 को अपने आदेश क्रमाक राजस्व/ 2024 / 849 के द्वारा मेरी काश्त की हुई भूमि पर मूंग की फसल को निलाम करने का आदेश जारी

कलक्टर नागौर

कर दिनांक 18.09.2024 तक निलाम करने का आदेश जारी किया गया हैं,जो आदेश गैर कानूनी आदेश है,क्योंकि पूर्व में रेस्पोडेंट संख्या 1 हल्का पटवारी डिडियाकलां ने अपनी रिपोर्ट में रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि पर दिनांक 30.07.2024 को गैर मुमकिन गौचर भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है व उसी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 10.09.2024 को मुझ अपीलांट के खेत का रकबा नक्शानुसार कम होना बताया है। इस कारण उक्त आदेश दिनांक 06.08.2024 गैर कानूनी व विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है ।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि मुझ अपीलांट का खेत नक्शाअनुसार क्षेत्रफल कम होने के बावजूद न्यायालय तहसीलदार जायल द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से खेत की खड़ी फसल मूंग की फसल को निलाम करने के आदेश जारी करने पर मुझ अपीलांट द्वारा न्यायालय तहसीलदार जायल में आपत्ति पेश करने के बावजूद भी न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश जारी किया हैं। हमारे द्वारा खेत का सीमाकंन हेतु सहायक कलक्टर महोदय जायल के समक्ष आवेदन–पत्र पेश करने पर उनके द्वारा सीमांकन का आदेश भी पारित किया गया हैं। फसल निलामीं के समय पहूँचे भू0अभिलेख निरीक्षक,रोल एवं पटवारी हल्का,डीडीयाकलां ने मौका रिपोर्ट बनायी उसमें यह स्पष्ट अंकन किया गया हैं कि अपीलांट का खेत खसरा नम्बर 126 का क्षेत्रफल मौके पर 1.3111 हैक्टयर हैं,जबकि जमाबंदी में रकबा 1.5702 हैं। इस प्रकार खसरा नम्बर 126 का क्षेत्रफल नक्शे में कम हैं। मेरी खातेदारी में रकबा ज्यादा हैं। मेरा कब्जा व कास्त मेरी खातेदारी भूमि पर ही हैं। राजस्व रेकार्ड में नक्शा में दुरूस्ती हेतु मेरे द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर,जायल में वाद दायर कर भी दिया हैं,इसके बावजूद भी तहसीलदार,जायल द्वारा मेरी खातेदारी भूमि से मुझे बेदखल किया जा रहा हैं। मेरे द्वारा किसी गोचर की भूमि पर अतिकमण नहीं किया गया हैं एवं न ही मेरे द्वारा कोई रास्ता अवरूद्व किया गया हैं। केवल मात्र मुझे परेशान करने की नियत से मेरे विरूद्व यह दफा 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही की गई हैं,जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

अतः निवेदन हैं कि न्यायालय तहसीलदार जायल द्वारा प्रकरण संख्या 13/2024 में जारी एक एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.08.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय पेरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज गै0मु0 गोचर राजकीय भूमि पर बिना किसी अधिकार स्वरूप के कब्जा कर कास्त की हैं एवं कच्ची दिवार बनायी हैं। इसलिए गै0मु0 गोचर भूमि पर अतिकमण पाये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व न्यायालय तहसीलदार,जायल में रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार,जायल द्वारा विधिवत् प्रकरण की सुनवाई करते हुवे आदेश दिनांक 06.08.2024 पारित किया गया हैं,जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2081 के अनुसार खसरा नम्बर 125 ग्राम डिडियाखुर्द गै0मु0 गोचर 0.32 है0 भूमि पर जरिऐ कास्त चेनाराम पुत्र रामदेव द्वारा कब्जा किया हैं। पटवारी हल्का,डिडियाकलां द्वारा बनायी गई रिपोर्ट एवं भू0अभिलेख निरीक्षक,रोल द्वारा जॉच दिनांक 30.07.2024 कर तहसीलदार,जायल को प्रस्तुत टी0पी0 रिपोर्ट अनुसार चेनाराम पुत्र रामदेव द्वारा ग्राम डिडियाखुर्द के खसरा नम्बर 125 रकबा 0.32 है0 किस्म भूमि गै0मु0 गोचर पर सम्वत् 2081 में जरिऐ कास्त एवं कच्चीदिवार के अनाधिकृत कब्जा किया गया हैं अंकित किया हैं। तहसीलदार,जायल द्वारा अपीलांट के विरूद्व प्रकरण संख्या 13/2024

कलक्टर नागौर

दर्ज कर उनको विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुवे प्रकरण में दिनांक 06.08.2024 को आदेश पारित कर अतिकमी घोषित कर जुर्माना एवं बेदखली के आदेश जारी किये हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि खसरा नम्बर 125 भूमि किस्म गै0मु0 गोचर हैं,जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती हैं। भू0अभिलेख निरीक्षक,रोल एवं पटवारी हल्का,डीडयाकलां द्वारा प्रस्तुत टी0पी0 रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 125 किस्म भूमि गै0मु0 गोचर पर अनाधिकृत अतिकमण कर कास्त व कच्ची दिवार बनायी हैं। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 125 की भूमि पर किसी प्रकार का विधिक हक होने सम्बन्धित कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किये गये हैं। अपीलांट का यह कथन जरूर हैं कि अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 126 का जमाबंदी में रकबा 1.57 है0 दर्ज हैं,जबकि नक्शा में रकबा 1.311 हैक्टयर हैं। अपीलांट के इस कथन से यह तो स्वीकृत नहीं दी जा सकती की अपीलांट गोचर की भूमि पर कब्जा कर अपनी खातेदारी भूमि होना बता दे। भू0अभिलेख निरीक्षक, रोल एवं पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा हैं कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 गोचर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हैं। इस रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई विधिक कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं एवं न ही इस आशय का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रकट हैं कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 गोचर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने पर तहसीलदार,जायल द्वारा उनके विरूद्व कार्यवाही करते हुवे जुर्माना एवं बेदखली का आदेश दिनांक 06.08.2024 को पारित किया गया हैं,जो विधिवत् जारी किया गया हैं तथा इस आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। तथा अपील अपीलांट सारहीन एवं खारिज होने योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2024 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)